

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Misc. Application in Disposed of Cases No.123/2024

In

Original Application No.281/2024

Kishor Bahuguna


...Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors.

...Respondents

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGES
1	Compliance Report on behalf of Nagar Palika Parishad, Pauri Dated 03.10.2025 along with enclosures	

**KAMAL KUMAR PANDEY
ADVOCATE FOR RESPONDENT
Nagar Palika Parishad, Pauri
Ch. No.50, Old Block
Supreme Court of India
New Delhi-110001
(M) 9312079439**

New Delhi

Dated

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI****Misc. Application in Disposed of Cases No.123/2024****In**

Original Application No.281/2024

Kishor Bahuguna ... Applicant


Versus

State of Uttarakhand & Ors. ... Respondents

**COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF NAGAR PALIKA
PARISHAD, PAURI****MOST RESPECTFULLY SHOWETH:**

1. That this Hon'ble tribunal vide its order dated 09.07.2025 had directed the Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Pauri, to file compliance report to apprise the tribunal regarding further steps taken for compliance with the orders of this Tribunal.
2. That in compliance with the above direction of this Hon'ble Tribunal the present compliance report is being filed on behalf of Executive Officer Nagar Palika Parishad, Pauri. True copy of the compliance report dated 03.10.2025 with enclosure is annexed herewith and marked as Annexure -1.

3. That the facts stated in the above compliance report are based on the information derived from official record as such they true and correct as per personal knowledge and belief of the deponent. No part of same is false and nothing material has been concealed therefrom.
4. The answering respondent undertakes and is duty bound to follow/comply with all further directions issued by this Hon'ble Tribunal in the matter in its letter and spirit.



KAMAL KUMAR PANDEY
ADVOCATE FOR RESPONDENT
Haldwani Nagar Nigam,
Ch. No.50, Old Block
Supreme Court of India
New Delhi-110001
(M) 9810108098
E-mail: mvermadv@gmail.com

New Delhi
Dated:

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Misc. Application in Disposed of Cases No.123/2024

In

Original Application No.281/2024

Kishor Bahuguna

...Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors.

...Respondents

AFFIDAVIT

I, Gayatri Bisht, D/o Mr. Har Singh Bisht, working as Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Pauri, Uttarakhand, do hereby solemnly affirm and state as under:-

1. That the deponent is posted in above capacity as such he is fully conversant with the facts of the case as such is competent to swear in this affidavit.

That I have read the accompanying compliance report to the Misc. Appl. In disposed case No.123/2024 in O.A. No.281/2024 Kishor Bahuguna Vs State of Uttarakhand & Ors. filed by applicant and understood the contents thereof the same are true and correct as per my personal knowledge and belief.

3. That the Annexures accompanying are true and correct copies of their respective originals




(Signature)
अभिशासी अधिकारी
Deponent
नगर पालिका पारिषद पौड़ी

VERIFICATION:

I, the above named deponent do hereby verify that the contents of above affidavit are true and correct as per knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at 6 this the 10 day of October, 2025.

Deponent



Sworn and verified
the Deponent Signed before me

Jai Dal Singh Negi

Public Notary


अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद पौड़ी

**मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद सं0 / 2924 मूल
आवेदन सं0 281 / 2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड में
अद्यतित अनुपालन आख्या**

किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा पारित दिनांक 09/07/2025 के क्रम में पालिका की शिकायत के क्रम में अद्यतित अनुपालन आख्या निम्नवत है।

क्र0	अनुपालन किये जाने हेतु सन्दर्भ	अद्यतित अनुपालन विवरण
1	2	3
1	Application and photograph of the complainant	शिकायतकर्ता के फोटोग्राफ प्राप्त हो गये है, जो कि वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउंड के है। फोटोग्राफ में दिखाई दे रहे गारबेज का निस्तारण निम्न प्रकार किया गया है।
2	Stop Garbage disposal from the main road	वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड एक ढालदार भूमि है पूर्व में गारबेज को मुख्य मार्ग के किनारे से ही डाला जाता था। वर्तमान में ऊपर से मुख्य भाग से लगभग 600 मी0 अन्दरूनी मार्ग से ट्रेचिंग ग्राउंड की ढालदार भूमि के सबसे निचले भाग के बीच में पहाड की कटिंग कराकर एक कच्ची सड़क का निर्माण कराया गया। अब कच्ची सड़क से ही गारबेज को डाला जा रहा है और कच्ची सड़क पर ही अब शेष गारबेज सैग्रीगेशन का कार्य अनुबन्धित एजेन्सी के माध्यम से किया जा रहा है। (वर्तमान में ट्रेचिंग ग्राउण्ड से सम्बन्धित फोटो संलग्न) Annexure 1/i
3	Wall work in trenching ground	वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड में नीचे खाई में कूड़ा न जाये, इसके लिये मा0 न्यायाधिकरण के वाद में अन्तरित आदेशों के क्रम में निविदा प्रक्रिया के माध्यम से दरें प्राप्त करते हुये रू0 69.95 लाख की दीवार तथा वायर क्रेट का कार्य भी 100 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।
4	Door-to-door garbage collection and its arrangement	नगर के सभी 11 वार्डों के फ्रैश गारबेज के एकत्रीकरण के लिये एक प्राइवेट एजेन्सी को अनुबन्धित किया गया है। अनुबन्धित एजेन्सी के द्वारा मुख्य मार्गों पर 04 वाहनों से जिसमें जागरूकता के जिंगल भी बजाये जाते हैं कूड़ा एकत्र किया जाता है (वाहनों के माध्यम से कूड़ा एकत्रीकरण करने के फोटोग्राफ संलग्न) Annexure 1/ii
5	Arrangement of door-to-door garbage collection on footpaths of Pauri city	इस पर्वतीय क्षेत्र की पालिका के पगडण्डी मार्गों पर महिला कार्मिकों के माध्यम से कूड़ा एकत्र किया जाता है। (महिला कार्मिकों के द्वारा कूड़ा एकत्रीकरण करने के फोटोग्राफ संलग्न) Annexure 1/iii
6	Street Garbage Collection and Segregation	पालिका के कार्मिकों के द्वारा स्ट्रीट सफाई से कूड़ा एकत्रीकरण के स्थलों पर भी गारबेज सैग्रीगेशन किया जा रहा है।
7	Dry garbage compaction	ट्रेचिंग ग्राउण्ड तथा अस्थायी कूड़ा स्थलों से जो ड्राई गार्बेज निकाला जाता है उसको कम्पैक्टर किया जाने लगा है।
8	Arrangement for making Silly from dry garbage	ट्रेचिंग ग्राउण्ड तथा अस्थायी कूड़ा स्थलों से जो ड्राई गारबेज निकाला जाता है उसको कम्पैक्टर करने तथा विक्रय किये जाने हेतु एक कम्पनी को हायर किया गया है। (कार्यादेश छायाप्रति संलग्न)। इसके काफी अच्छे परिणाम सामने आये हैं। इस व्यवस्था के कायम होने से एक तो ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर काफी कम मात्रा में गारबेज जा रहा है द्वितीय पालिका का काफी मात्रा में गारबेज शहर से बाहर रिसाईकिलिंग के लिये भेजा जाने लगा है। (कम्पैक्टर से सिल्लियां बनाये जाने की फोटोग्राफ संलग्न) Annexure 1/iv
9	Dry Garbage Silly Selling	पालिका द्वारा हायर की गयी एजेन्सी के द्वारा माह दिसम्बर से सितम्बर

		2025 तक कुल रु० 1,26,840/- का ड्राई गारबेज विक्रय किया गया है। इस प्रकार 355200 मा० ड्राई गारबेज ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर न जाकर शहर से बाहर रिसाईकिलिंग के लिये ले जाया गया।
10	cleaning of trenching ground	ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर एजेन्सी को हर समय मुस्तैद रहने के साथ-साथ साफ-सफाई के निर्देश दिये गये हैं तथा कीटनाशक का छिड़काव लगातार कराया जा रहा है। (फोटोग्राफ संलग्न) Annexure 1/v
11	Legacy Waste	ट्रेचिंग ग्राउण्ड के लीगेसी वेस्ट को कम्पनी के कार्मिकों के द्वारा फ्रेश वेस्ट के साथ-साथ काफी मात्रा में मैनुवल सेग्रिगेट कर सिल्लियो बनवायी गयी है। अवशेष लीगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु संशोधित डी०पी०आर० शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड की आपत्ति के पश्चात जनपदीय तकनीकी समिति पौड़ी से अनुमोदित कराकर पालिका के पत्र सं० 360/लीगेसी वेस्ट/2025-26 दिनांक 13 मई, 2025 के द्वारा शहरी विकास निदेशालय देहरादून को भेजी गयी थी। (पत्र छायाप्रति संलग्न)। निदेशालय से उक्त डी०पी०आर० का परीक्षण पत्र दिनांक 15.07.2025 के द्वारा अपर सचिव, श० विकास विभाग, उ०शासन को अन्तिम स्वीकृति एवं धनावंटन हेतु भेजा गया है। शासन से स्वीकृति तथा धनावंटन होने पर अवशेष लीगेसी वेस्ट का निस्तारण यथाशीघ्र करा दिया जायेगा।
12	Old Matter But at Present All Issue Resolve	यह कि यह वाद दिनांक 17.09.2023 को मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में श्री किशोर बहुगुणा निवासी तिमली गॉव, पौड़ी के द्वारा योजित कराया गया है उस समय पालिका में श्री गौरव भसीन, अधिशासी अधिकारी पद पर तैनात थे। पालिका द्वारा तत्कालीन अधिशासी अधिकारी श्री गौरव भसीन के हस्ताक्षरित आख्या पत्र सं० 503/न०पा०प०/2024-25/पौड़ी दिनांक 24 अगस्त 2024 के द्वारा तथा इस कार्यालय के पत्र सं० 994/NGT-SWM/2024-25 /दिनांक 13 दिसम्बर 2024, पत्र सं० 1078/न० पा०प०/पौड़ी दिनांक 03 जनवरी 2025 तथा पत्र सं० 127/NGT 281-024/2025-26 दिनांक 19 अप्रैल 2025 के द्वारा अनुपालन आख्या भेजी गयी है। (साक्ष्य संलग्न)। Annexure 1/vi
13	Field report of Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun	मा० एन०जी०टी० के पूर्व के आदेशों के क्रम में उस अवधि तक के कार्यों के सत्यापन के लिये सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड देहरादून के पत्र सं० यू.के.पी.सी.बी./एच.ओ./सा०-183-788/2024 /1328 दिनांक 11.12.2024 के क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० नियन्त्रण बोर्ड नेहरू कॉलोनी, देहरादून द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर 2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण आख्या में पालिका के किये गये कार्यों की पुष्टि की गयी है। (निरीक्षण रिपोर्ट छायाप्रति संलग्न) Annexure 1/vii
14	Disposal System & Garbage Minimization	ट्रेचिंग ग्राउण्ड में कम से कम कूड़ा जाये, इसके लिये गीले कूड़े जैसे सब्जियों आदि के लिये एक पृथक से सब्जी- एकत्रीकरण- वाहन शाम की शिफ्ट में चलाया जा रहा है और इसे पालिका के गौशाला में ले जाया जाता है इसके अच्छे परिणाम यह आये हैं कि अब इस प्रकार का वेस्ट मालियों आदि में नहीं जा रहा है।
15	Awairness	पालिका द्वारा प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करें, जिंगल द्वारा जागरूकता के साथ-साथ चालानी कार्यवाही भी की जा रही है।
16	SWM 2016 Rules	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन 2016 के नियम 298 के अनुपालन में पालिका द्वारा 05 मई 2026 को नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) उपविधि का शासकीय गजट में प्रकाशन कराया गया है।
17	Anual Report To Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन 2016 के नियम 17(2) के अनुपालन में पालिका द्वारा प्रत्येक वर्ष राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड उत्तराखण्ड, देहरादून को पालिका की SWM की वार्षिक रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में दाखिल की जाती है।

18	Land allocation and disputes for solid waste management activities & Garbage disposal on cluster basis	<p>नगर पालिका परिषद पौड़ी को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु मांडाखाल खिरसू रोड उल्टी नाली नं०-32 जिला-पौड़ी में 1.007 हेक्टेयर भूमि चयनित व स्वीकृत की गयी थी, जिसमें दिनांक 04.03.2023 को पर्यावरण स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी थी, परन्तु जनविरोध के चलते उक्त भूमि पर वर्तमान तक कोई भी कार्य नहीं हो पाया है। जिस क्रम में नगर पालिका पौड़ी द्वारा तहसील प्रशासन पौड़ी से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु भूमि की मांग की गयी थी।</p> <p>2- जिस क्रम में तहसील प्रशासन पौड़ी द्वारा ग्राम बैजवाडी पट्टी नांदलस्यू तहसील पौड़ी गढ़वाल की नॉन जेड०ए० खतौनी (श्रेणी-9 खाते से बाहर की कृषि योग्य बंजर भूमि) खाता संख्या-03 के खेत नं० 3441 रकबा 26.218 हे० मध्ये 0.800 (40 नाली) भूमि जो कि वन पंचायत के नाम दर्ज अभिलेख भूमि चयनित की गयी है, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निस्तारण किया जाना है। उक्त भूमि को हस्तान्तरित किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय गढ़वाल को पत्र प्रेषित किया गया है। (साक्ष्य संलग्न है) Annexure 1/viii</p>
19	Swachh Bharat Mission All India Ranking	<p>पालिका पौड़ी के SWM में किये गये प्रयासों के तहत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन 2024 में दिनांक 17 जुलाई 2025 को घोषित परिणाम के तहत इस शहर की All India Ranking विगत वर्ष की रैंकिंग 3252 से सुधार कर 1281 आयी है। (साक्ष्य संलग्न है) Annexure 1/ix</p>
20	Sending of compliance reports from time to time	<p>मा० न्यायाधिकरण के प्रकरण में पूर्व में किये गये अन्तरिम आदेशों के क्रम में गठित समिति द्वारा प्रथम बार दिनांक 20.09.2024 को तथा द्वितीय बार दिनांक 03.01.2025 को स्थलीय जाँच आख्या दी गयी है और वह रिपोर्ट जिलाधिकारी के पत्र क्रमांक 402/21-प्रशा०अधि०(स्था०नि०)/2024 दिनांक 23 सितम्बर 2024 एवं पत्र क्रमांक 321/21-प्रशा० अधि०(स्था०नि०)/2024-25 दिनांक 08 जनवरी 2025 के द्वारा मा० न्यायाधिकरण को प्रेषित की गयी है; ट्रेडिंग ग्राउंड की मौका स्थल पर जाँच उ० रा प्रदू० नियन्त्रण बोर्ड उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा भी की गयी है जिसे अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पौड़ी की आख्या के साथ पूर्व में ही भेजा गया है पुनः संलग्न किया जा रहा है।(साक्ष्य संलग्न) Annexure 1/x</p>
21	satisfaction of the complainant	<p>शिकायतकर्ता द्वारा एक शपथपत्र भी मा० न्यायाधिकरण नई दिल्ली तथा जिला मजिस्ट्रेट पौड़ी को भेजा गया, जिसे जिलाधिकारी पौड़ी द्वारा अपने पत्र क्रमांक 504/21-प्रशा०अधि०(स्था०नि०)/2024-25 दिनांक 09 जून 2025 के द्वारा मा० न्यायाधिकरण नई दिल्ली को भेजा गया है। (साक्ष्य संलग्न) Annexure 1/xi</p>

इस प्रकार मा० एन०जी०टी० द्वारा पूर्व में किये गये अन्तरिम आदेशों से पालिका को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों को कराने के लिये जो मार्गदर्शन मिला है उससे पत्रावलियों पर सभी स्तरों पर निर्णय/स्वीकृति करने में तेजी आयी और रु० 62.70 लाख की सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य, रु० 7.01 लाख कच्ची सड़क, पुरानी कम्पैक्टर मशीन को उपयोग में लाकर ड्राई गारबेज से सिल्लियों बनवाये जाने का अनुबन्ध करने का निर्णय/स्वीकृति, उत्तराखण्ड शासन को लीगेसी वेस्ट की डी०पी०आर० का प्रेषण करना तथा निदेशालय द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये परीक्षण उपरान्त धनावंटन के लिये शासन को भेजना, ट्रेडिंग ग्राउंड के आस-पास तथा अन्य कूड़े स्थलों के पास सी०सी०टी०वी० कैमरों की स्थापना करना, चालानी कार्यवाही करना, E-Waste Store की स्थापना करना, रिपोर्टिंग अवधि तक रु० 3,11,640/- का ड्राई गारबेज का विक्रय, सब्जी/फल विक्रेताओं के सब्जिया-फल फूट आदि गीले कूड़े को एक विशेष वाहन के माध्यम से पालिका के गौवंश में ले जाना आदि कार्य हुये हैं। इसी क्रियाकलापों के आधार पर माह अप्रैल-मई 2025 में भारत सरकार की सर्वेक्षण टीम के फील्ड सर्वेक्षण तथा Direct Obsevation के आधार पर All India Ranking में जबरदस्त सुधार करते हुये विगत वर्ष की AIR 3252 के स्थान पर वर्ष 2024 की AIR 1281 आयी है। जिसकी घोषणा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 17 जुलाई 2025 को की गयी है। यह सभी कार्य मा० NGT के निर्देशों, जिला प्रशासन की मॉनिटरिंग तथा पालिका टीम के संयुक्त प्रयासों से संभव हुआ है।

यहां पर यह भी अनुरोध करना है कि मा० न्यायाधिकरण द्वारा अपने पूर्व आदेश दिनांक 05 दिसम्बर 2024 के बिन्दु न० 2(7) में आवेदन का निस्तारित कर दिया गया था। नगर पालिका परिषद पौड़ी के

अधिकाारी अधिकाारी जो कि समिति के सदस्य 165 थे, उनके हस्ताक्षरित रिपोर्ट उपरोक्तानुसार दोनों बार तथा पालिका के विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अपने प्रत्युत्तर के साथ भी दाखिल की गयी है। नगर पालिका परिषद पौडी को म्यूनिसीपल कौंसिल मानने की वजह/भ्रम के कारण म्यूनिसीपल कमीशनर की आख्या के न पाये जाने पर मा0 न्यायाधिकरण द्वारा नाराजगी जाहिर की गयी थी, इस सम्बंध मे दिनांक 09 जुलाई 2025 को स्थिति स्पष्ट कर दी गयी थी।

अतः प्रकरण में मा0 न्यायाधिकरण को अद्यतन रिपोर्ट दाखिल की जा रही है, इसलिए मा0 न्यायाधिकरण से उपरोक्त आवेदन अंतिम रूप से निस्तारित किये जाने की प्रार्थना की जाती है।




अधिकाारी अधिकाारी
नगर पालिका परिषद पौडी



वर्तमान में ट्रेचिंग ग्राउंड से संबंधित फोटोग्राफ्स



वाहनों के माध्यम से कार्मिकों के द्वारा कूड़ा एकत्रीकरण करने से संबंधित फोटोग्राफ्स



नगर पालिका ने कूड़ा बेचकर कमाए दो लाख



पौड़ी में प्लास्टिक कूड़े के ब्लॉक बनाता पालिका का पर्यावरण मित्र। संवाद

संवाद न्यूज एजेंसी

पौड़ी। जिला मुख्यालय पौड़ी में कूड़ा निस्तारण की योजना अब रंग लाती दिखाई दे रही है।

शहर के विभिन्न बाड़ों से जमा कूड़े का पालिका ने रिसाइकिल करना शुरू कर दिया है, जिससे पालिका ने बीते चार महीने में दो लाख से अधिक की आमदनी कर ली है।

पालिका के अधिशासी अधिकारी शान्ति प्रसाद जोशी ने बताया कि शहर की सफाई को लेकर पर्यावरण मित्रों को नियमित रूप से कूड़ा उठान के निर्देश दिए गए हैं। पौड़ी नगर क्षेत्र से

जिला मुख्यालय पौड़ी में कूड़ा निस्तारण की योजना अब रंग लाती दिखाई दे रही

हर दिन करीब 15 टन कूड़ा एकत्रित किया जा रहा है। तिमली रोड पर कूड़ा सूखा और गीला कूड़ा अलग करने के बाद उनके ब्लॉक तैयार किए जा रहे हैं।

बीते चार माह में पालिका ने करीब 2400 किलो कूड़ा रिसाइकिल के लिए हरिद्वार स्थित प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अभिकृत वेडर को बेचा है। इससे पालिका ने दो लाख से अधिक की आमदनी जुटाई है।



कम्पैक्टर मशीन से ड्राई गार्बेज की सिल्लियां बनाये जाने से सम्बन्धित फोटोग्राफ



महिला कार्मिकों के द्वारा कूड़ा एकत्रीकरण करने से संबंधित
फोटोग्राफ्स

कार्यालय-नगर पालिका परिषद पौडी

Email-nagarpalikapauri@gmail.com

संख्या 933 / गारबेज प्रोसेसिंग / 2024-25 /

दिनांक नवम्बर 30, 2024

मैसर्स भगवती फील्ड सर्विस प्रा0 लि0,
16, स्वर्गलोक सराय, ज्वालापुर,
हरिद्वार ।

विषय:- नगर पालिका परिषद पौडी के पृथक तथा एकत्रित किये गये सूखे कूड़े से प्रोसिंग करते हुये कौम्पैक्टर के माध्यम से सिल्लियों बनाना तथा उसे विक्रय किये जाने की कोटेशन स्वीकृति तथा कार्य आरम्भ किये जाने विषयक ।

उपरोक्त विषयक आमन्त्रित कोटेशन मे आपकी फर्म की कोटेशन न्यूनतम दर रू0 24,000/- (रू0 चौबीस हजार) प्रतिमाह (जी0एस0टी सहित) प्राप्त हुई है। कोटेशन समिति की संस्तुति पर प्रशासक महोदय द्वारा उपरोक्त दर अन्तिम रूप से दिनांक 26/11/2024 को स्वीकृत की गयी है। यह कार्य दिनांक 01 दिसम्बर 2024 से 10 माह की अवधि अर्थात माह सितम्बर 2025 तक के लिये स्वीकृत किया गया है। इस कार्यादेश जारी होने के पश्चात् दिनांक 01/12/2024 से आप नगर पालिका परिषद पौडी के पृथक तथा एकत्रित किये गये/करते हुये सूखे कूड़े से प्रोसिंग करते हुये कौम्पैक्टर के माध्यम से सिल्लियों बनाना तथा उसे विक्रय किये जाने की कार्यवाही निम्न शर्तों/नियमों के अधीन करना सुनिश्चित करेंगे।

1. यह कि रू0 100/- का नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्यालय मे आकर अनुबन्ध करना।
2. कार्य आरम्भ करने की सूचना भी कार्यालय में देना सुनिश्चित करेंगे।
3. माह में तैयार 100 सिल्लियों का ट्रांसपोर्टेशन का व्ययभार एंजेन्सी का होगा तथा सिल्लियों की विक्रय राशि से 10 प्रतिशत राशि पालिका में जमा करनी होगी। तथा इसके पर्याप्त दस्तावेज तैयार किये जायेंगे तथा संरक्षित रखे जायेंगे।
4. रू0 50,000/- की जमानत कार्यालय में बन्धक करके जमा करनी होगी।
5. गारबेज का प्रथकीकरण पालिका के कलैक्शन स्पॉट तथा ट्रंचिंग ग्राउड पर किया जायेगा। वहाँ से इसे मजबूत बैग मे पालिका की पूर्व मे स्थापित कौम्पैक्टर मशीन के पास लाया जायेगा। सिल्लियों तैयार करने के पश्चात पालिका के स्टोर मे रखा जायेगा। परन्तु स्टोर मे 100 सिल्लियो से अधिक किसी भी दशा मे मान्य न होगा।
6. कौम्पैक्टर वाले स्थान पर केवल 02 सिल्लिया ही चालू कार्य मे रहेगी, वहाँ पर इससे ज्यादा सिल्लिया रखना प्रतिबन्धित होगा तथा बाहर कोई भी गारबेज नही डाला जायेगा।
7. एंजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि सिल्लियों बनाने का कार्य दिन की क्लोजिंग पर कौम्पैक्टर मशीन के अन्दर उत्तम दर्ज की साफ-सफाई करने के पश्चात ही कार्मिक को भेजा जायेगा।
8. पृथकीकरण के लिये एंजेन्सी पूर्व मे डोर-टू-डोर का कार्य कर रही कम्पनी की भी सहायता लगी आर अपने कामों के माध्यम से भी यह कार्य करायेगी। बेहतर होगा कि एंजेन्सी स्थानीय रैग पिकर को लिस्टेट कर उनसे स्थानीय स्तर पर एक निश्चित रकम तय कर कूडा ले लेवे।
9. कौम्पैक्टर मशीन पर होने वाला विधुत का व्यय पालिका द्वारा वहन किया जायेगा परन्तु कौम्पैक्टर की मरम्मत सम्बन्धित एंजेन्सी के द्वारा की जायेगी।
10. सिल्लियो को मजबूत वायर से बाँधना होगा। प्रत्येक सिल्ली लगभग 60 कि0ग्रा0 से कम की नही होगी।



ट्रेचिंग ग्राउंड में कार्मिकों के द्वारा कीटनाशक का छिड़काव करते हुए, से संबंधित फोटोग्राफ्स

11. ऐजेन्सी को प्रतिमाह सिल्लियो 60 किग्राम तथा संख्या में 100 होने पर ही भुगतान किया जायेगा। के आधार पर तथा उसकी दी गयी और पालिका से स्वीकार किये जाने वाली दर के आधार पर ही भुगतान किया जायेगा।
12. ऐजेन्सी द्वारा सिल्लियो की बिक्री की 10 प्रतिशत राशि पालिका में जमा कर दिये जाने एवम लेखा/सफाई अनुभाग से पुष्टि हो जाने के पश्चात भुगतान किया जायेगा।
13. ऐजेन्सी को सफाई कार्य में लागू, कर कटौती करते हुये भुगतान किया जायेगा।
14. इस कार्य से पौड़ी शहर की गन्दगी से निजात दिलाने का कार्य होगा। कार्य की सफलता से पौड़ी शहर में पर्यावरणीय सन्तुलन में बढोत्तरी होगी। कार्य से पौड़ी शहर की स्वच्छता की रैंकिंग में भी सुधार होगा और पौड़ी शहर एक साफ शहर तथा सुन्दर शहर बनाया जा सकेगा। कार्य से स्थानीय रैग पिकर्स यदि वह ऐजेन्सी के साथ काम करना चाहेंगे तो उन्हें भी फायदा होगा और कार्य के विस्तारीकरण के पश्चात स्थानीय युवाओं को भी रोजगार मिल सकेगा। फर्म को अधिकार होगा कि वह स्थानीय स्वयं सेवी संस्थाओं से भी सहयोग ले सकेगी, परन्तु कार्य सबलेट नहीं किया जायेगा।
15. इस कार्य की अवधि अनुबन्ध की दिनांक से 10 माह के लिये होगी। कार्य की सफलता के आधार पर इसे प्रथम बार 10 माह की अवधि तक के लिये बढाया जा सकेगा।
16. कार्य में लापरवाही अथवा दुष्परिणाम आने या प्रतिकूल प्रभाव पडने अथवा उच्च स्तर से कार्य को बन्द करने की दशा में यह अनुबन्ध 15 दिनों के भीतर समाप्त कर दिया जायेगा। इस पर सफल ऐजेन्सी का कोई दावा स्वीकार न होगा।
17. ऐजेन्सी के द्वारा यदि समय से पूर्व कार्य बन्द किया जाता है तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जायेगा और पुनः इसके लिये दरे प्राप्त की जायेगी, अथवा इन्ही न्यूनतम दरो पर किसी अन्य ऐजेन्सी से कार्य लिया जा सकेगा। उनकी जमा जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
18. कार्य में लापरवाही अथवा दुष्परिणाम आने या प्रतिकूल प्रभाव पडने अथवा उच्च स्तर से कार्य को बन्द करने की दशा में यह अनुबन्ध 15 दिनों के भीतर समाप्त कर दिया जायेगा। इस पर सफल ऐजेन्सी का कोई दावा स्वीकार न होगा। उनकी जमा जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
19. ऐजेन्सी के द्वारा यदि अनुबन्ध अवधि से पूर्व कार्य बन्द किया जाता है तो उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा और पुनः इसके लिये दरे प्राप्त की जायेगी।
20. यह कार्य उपरोक्त शर्तों तथा सम्पादित होने वाले अनुबन्ध के आधार पर निष्पादित किये जायेगा, परन्तु भवधि में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो प्रथम दोनों पक्ष आपस में विवाद को निपटायेंगे। किसी भी पक्ष के असन्तुष्ट होने पर विवाद का न्यायालय क्षेत्र नगर पालिका क्षेत्र पौड़ी रहेगा।

अतः कृपया उपरोक्त शर्तों के अनुसार कार्यवाही एवम कार्य करना सुनिश्चित करें।

अधिशायी अधिकारी

नगर पालिका परिषद पौड़ी
पौड़ी-गढ़वाल

पत्र सं० व दिनांक - तदव-

प्रतिलिपी:- सूचनार्थ प्रेषित।

1:- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2:- जिलाधिकारी, पौड़ी।

2:- संयुक्त मजिस्ट्रेट/प्रशासक, नगर पालिका परिषद पौड़ी।

अधिशायी अधिकारी

नगर पालिका परिषद पौड़ी
पौड़ी-गढ़वाल

अधिशायी अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई-115, नेहरू कॉलोनी, देहरादून-248001
टेली फोन नं.-0135-3593200

पत्रांक सं०-यूकेपीसीबी/आरओडी/एनओजीटी०-111/2024-25/3011-1550

दिनांक 21/12/24

सेवा में,

सदस्य सचिव महोदय,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गौरा देवी पर्यावरण भवन,
46बी, आई०टी० पार्क, सहस्त्रधारा रोड,
देहरादून।


विषय- मा० एनओजीटी० में योजित मूल आवेदन संख्या-281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 के अनुपालन में निरीक्षण आख्या।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 व बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संख्या-यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा-183-788/2024/1328 दिनांक 11.12.2024 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, पौड़ी का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 17.12.2024 को किया गया। नगर पालिका पौड़ी द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम का अनुपालन की अद्यतन स्थिति का विवरण निरीक्षण आख्या के साथ संलग्न कर सादर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(अमित पोखरियाल)
क्षेत्रीय अधिकारी

1.) एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या-281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 के अनुपालन में दिनांक 17.12.2024 को निरीक्षण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 में प्रकरण ग्राम तिमली/पौड़ी, नई विकास कॉलोनी, जिला पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रीय राजमार्ग नं-119 में नगर पालिका परिषद पौड़ी गढ़वाल द्वारा कचरा डम्पिंग स्थल के सम्बन्ध में इस कार्यालय एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी गढ़वाल द्वारा दिनांक 17.12.2024 को स्थल निरीक्षण किया गया आख्या निम्नवत् है-

1. वर्तमान गारबेज डम्पिंग स्थल पर सीधा ढलान होने के कारण उसका निचला भाग होने के कारण गारबेज को नीचे न जाये। पालिका द्वारा आर0सी0सी0 सुरक्षा दीवार लम्बाई 60 मी0 उंचाई 10.5 मी0 का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में नगर पालिका द्वारा दीवार की फाउण्डेशन की खुदाई का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसकी पुष्टि निरीक्षण में मौका स्थल पर भी हुई है। कार्य आदेश एवं स्थल के फोटोग्राफ संलग्न हैं। (संलग्न) सुरक्षा दीवार आदि बनाये जाने के उपरान्त उक्त स्थल पर चौड़ाई बढ़ जाने पर .01 MRF Centre भी बनाया जाना प्रस्तावित है।
2. नगर में ड्राई एवं गीला कूड़ा के एकत्रिकरण के लिये एक प्राइवेट एजेन्सी को कार्य पर लगाया गया है। पालिका के सभी 11 वार्ड में वाहनों के माध्यम से एवं पगडंडियों मार्ग से एजेन्सी के कार्मिकों के माध्यम से बैग आदि में ड्राई गारबेज एकत्रिकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इससे सम्बन्धित फोटोग्राफ संलग्न किये जा रहे हैं। (संलग्न)
3. ड्राई गारबेज से सिल्लियां बना कर शहर से बाहर विक्रय के लिये भेजे जाने हेतु कैम्पेक्टर मशीन की स्थापना की गयी है। नगर पालिका द्वारा ड्राई गारबेज से सिल्लियां बनाना आरम्भ कर दिया गया है। इससे सम्बन्धित फोटोग्राफ संलग्न किये जा रहे हैं। (संलग्न)
4. उपरोक्त ट्रेडिंग ग्राउण्ड स्थल पर 7,636 मी0 टन लीगेसी वेस्ट की जो डी0पी0आर0 शहरी विकास निदेशालय को भेजी गयी थी, उसमें निदेशालय द्वारा परीक्षण करते हुए अपने पत्र संख्या-3898/886/SBM/SWM/ली0वे0/2022-23 दिनांक 04 नवम्बर, 2024 क द्वारा शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। जिसकी प्रति अधिशासी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय उपलब्ध करायी गई है। (संलग्न) पत्र में लीगेसी वेस्ट का स्थान त्रुटिवश माण्डाखाल लिखा गया है, इसके सम्बन्ध में निदेशालय को दूरभाष पर संशोधन हेतु अवगत करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त संशोधन हेतु भी पत्र भेजा जा रहा है।
5. पौड़ी नगर के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के निस्तारण हेतु माण्डाखाल से आगे खिसू रोड़ पर दाहिनी ओर उल्ली बीट नं-32 में 1.007 हे0 भूमि हेतु नगर पालिका परिषद पौड़ी को लीज पर देना स्वीकृत हुई है। इस आंवटित भूमि पर पालिका द्वारा सिविल कार्य करवाये जाने की कार्यवाही आरम्भ करने पर वहां पर स्थानीय जनता का घोर विरोध हो रहा है। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया कि ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण हेतु अन्य स्थान पर भूमि का चिन्हिकरण की कार्यवाही प्रस्तावित है।
6. वर्तमान में गारबेज निस्तारण स्थल पर ट्रेडिंग ग्राउण्ड तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य के लिये भी निविदायें आमंत्रित की गयी हैं। ताकि गारबेज को ऊपर से न डाल कर निर्मित होने वाली सड़क से ही छटाई के लिये ले जाया जाये। इस कार्य में पत्थरों का खड़जा सड़क निर्माण का प्राविधान किया गया है, जिसमें 300 मी0 लम्बाई तथा 3.65 मी0 चौड़ाई की सड़क खुदाई/ड्रेजिंग का कार्य हो चुका है। 150 मी0 पैदल रास्ता और भी बनाया जाना अवशेष है, जिसे शीघ्र ही पूर्ण करा लिया जायेगा।
7. वर्तमान में ट्रेडिंग ग्राउण्ड में सी0सी0 टी0वी0 कैमरे भी लगा दिया गये हैं एवं नगर पालिका से जनित ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण किया जा रहा है। उपरोक्त निरीक्षण के समय नगर पालिका पौड़ी द्वारा किये जा रहे कार्यों का सत्यापन किया गया।

आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।


(एस0एस0 चौहान)
सहा0वैज्ञा0अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून


(अमित पोखरियाल)
क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून

पौड़ी

स्वस्थ पौड़ी

सुन्दर पौड़ी

!! कार्यालय-नगर पालिका परिषद पौड़ी !!

(स्वच्छता ही सेवा)

[Web-www.nagarpalikapauri.com](http://www.nagarpalikapauri.com)

Email-nagarpalikapauri@gmail.com, दूरभाष एवंफैक्स नं०-01368221927

GZ

संख्या:- 503 / न०पा०प० / 2024-25 / पौड़ी दिनांक 25 अगस्त 2024

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

विषय- मा० एन०जी०टी० में योजित मूल आवेदन संख्या-281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 के अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या:-2023/21-प्रशा०अधि०,स्था० निव०-रि०अनु०आ०/2024-24 दिनांक 30 जुलाई 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा०एन०जी०टी० में योजित मूल आवेदन संख्या-281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 में ग्राम तिमली गांव/पौड़ी, न्यू विकास कॉलोनी जिला पौड़ी गढ़वाल के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-119 में नगर पालिका परिषद पौड़ी के कचरा डम्पिंग के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार कार्यवाही करते हुए नियत समय से पूर्व आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुये हैं।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 04.08.2024 को अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी, प्र० क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं प्रशासक/संयुक्त मजिस्ट्रेट बारहस्यूं पौड़ी महोदय के द्वारा संयुक्त निरीक्षण जांच की गयी है। जो कि संलग्न है।

अतः उक्तानुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न- संयुक्त निरीक्षण जांच आख्या।

भवदीय,

(गौरव भसीन)

अधिशासी अधिकारी श्रेणी-1
नगर पालिका परिषद पौड़ी।

प्रतिलिपि:- प्रशासक/संयुक्त मजिस्ट्रेट बारहस्यूं महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।



D/C

अधिशासी अधिकारी श्रेणी-1
नगर पालिका परिषद पौड़ी।

एन०जी०टी० में योजित मूल आवेदन क्रिख्या-281/2024 Kishor Bahuguna Vs State of Uttarakhand पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 के क्रम में संयुक्त निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संख्या यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा.-163-788/2024/568 दिनांक 15.07.2024 के अनुक्रम में मा० एन०जी०टी० में योजित मूल आवेदन संख्या-281/2024 Kishor Bahuguna Vs State of Uttarakhand में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024, प्रकरण ग्राम तिमली/ पीडी, नई विकास कॉलोनी, जिला-पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रीय राजमार्ग नं०-119 में नगर पालिका परिषद, पौड़ी गढ़वाल द्वारा कचरा डम्पिंग स्थल के सम्बन्ध में निरीक्षण हेतु निम्न विभागों की संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण कर आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिये गये:-

1. जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. नगर निगम, पौड़ी गढ़वाल।

तत्क्रम में जिलाधिकारी गढ़वाल एवं उपरोक्त विभागों द्वारा निम्न सदस्यों को नामित किया गया,

1. प्रभागीय बनाविकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।
2. उप जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
3. क्षेत्रीय अधिकारी (देहरादून), उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
4. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पौड़ी गढ़वाल।

नामित सदस्यों एवं अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा दिनांक 20.09.2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- 1- निरीक्षण के समय नगर पालिका परिषद, पौड़ी के अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में पौड़ी नगर पालिका परिषद के अन्तर्गत 11 वार्ड आते हैं, जिसकी कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 25440 है।
- 2- डम्पिंग साईट पर वर्तमान में नगर पालिका परिषद, पौड़ी द्वारा सफाई कर्मचारियों के माध्यम से एकत्रित कूड़े को अस्थाई तौर पर डाला जा रहा है। वर्तमान में नगर पालिका परिषद पौड़ी क्षेत्रान्तर्गत डोर टू डोर कूड़ा एकत्रिकरण का कार्य नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा निविदा द्वारा चयनित एक निजी संस्था द्वारा किया जा रहा है एवं उक्त निजी संस्था द्वारा अपने कर्मचारियों के माध्यम से सूखे कूड़े (प्लास्टिक, कागज, गत्ते आदि) को पृथक कर कॉम्पैक्टर के माध्यम से कम्प्रेस कर विक्रय किया जाता है।
- 3- बिन्दु सं०-2 में उल्लिखित कूड़े के अतिरिक्त अवशेष कूड़े को वर्तमान में कोई वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण डम्पिंग साईट पर ही डाला जा रहा है, जिस कारण उक्त डम्पिंग साईट पर विगत वर्षों का लीगेसी वेस्ट (Legacy Waste) अवस्थित है। नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त Legacy Waste के नियमानुसार निस्तारण के सम्बन्ध में तैयार की गयी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तथा प्रस्ताव हेतु अनुरोध (RFP) की स्वीकृति घनावंटन हेतु दिनांक 10.09.2024 को शहरी विकास निदेशालय को प्रेषित कर दी गयी है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि शासन से उपरोक्त डी०पी०आर० अनुमोदित होने के उपरान्त तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुये प्रश्नगत स्थल पर स्थित Legacy Waste का नियमानुसार निस्तारण करा दिया जायेगा।
- 4- ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली-2016 की अनुसूची-1(क 7) में दिये गये मानदण्डों के अनुसार प्रश्नगत डम्पिंग साईट की स्थिति निम्नानुसार है:-

स्थिति	निर्धारित मानक	प्रश्नगत स्थल की दूरी	टिप्पणी
नदी से दूरी	100 मीटर	डम्पिंग साईट के निकट कोई नदी स्थित नहीं है।	डम्पिंग स्थल के अन्तिम कोने के 60 मी० की दूरी पर एक बरसाती गंधरा स्थित है।
तालाब से दूरी	200 मीटर	डम्पिंग साईट के निकट कोई तालाब स्थित नहीं है।	-
राजमार्ग से दूरी	200 मीटर	राजमार्ग से दूरी-0 मी०	-
आवास स्थलों से दूरी	200 मीटर	आवास स्थलों से दूरी-80 मी०	-
सार्वजनिक उद्यानों से दूरी	200 मीटर	सार्वजनिक उद्यानों से दूरी-03कि०मी०	-

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

जलापूर्ति कुओं से दूरी	200 मीटर	डम्पिंग साइट/के निकट कोई जलापूर्ति कुआँ स्थित नहीं है।	-
हवाई अड्डे से दूरी	20 कि०मी०	87 कि०मी०	-

5- नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली-2016 के मानदण्डों के अनुसार नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत जनित कूड़े के पृथक्करण/प्रसंस्करण एवं निस्तारण हेतु उल्ली बीट माण्डाखाल में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लान्ट के निर्माण हेतु वैकल्पिक भूमि आवद्ध की गयी है, जिसकी पर्यावरणीय (पत्र संख्या:-29-07(19) 2021 दिनांक 09 मार्च 2023) एवं वन भूमि हस्तान्तरण स्वीकृति (पत्र संख्या:-08 बी०/यू०सी०पी०/09/212/2016/एफ०सी०/2827 दिनांक 19 फरवरी 2020) प्राप्त हो चुकी है। वर्णित स्थल पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लान्ट (Solid Waste Management Plant) लगाये जाने हेतु तैयार की गयी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तथा प्रस्ताव हेतु अनुरोध (RFP) (कुल लागत-9.74 करोड़) नगर पालिका परिषद, पौड़ी द्वारा शहरी विकास, निदेशालय, के माध्यम से शासन को प्रेषित की गयी है (पत्र संख्या:-95/न०पा०प०-05/2024-25 पौड़ी दिनांक 15 मई 2024)। प्रश्नगत वैकल्पिक भूमि पर अवस्थित कृषकों के पातन की अनुज्ञा वन विभाग को प्रेषित कर दी गयी है (पत्र संख्या:-108/न०पा०प०/2024-25 दिनांक 20 मई 2024)। इसके अतिरिक्त उक्त प्लान्ट की स्थापना से पूर्व उत्तराखण्ड राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से Consent to Establish प्राप्त किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। अधिशासी अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि जैसे ही उपरोक्त समस्त स्वीकृतियाँ प्राप्त होती है प्लान्ट के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा एवं उसे क्रियान्वित कर दिया जायेगा।

6- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि बिन्दु सं०-5 में उल्लिखित वैकल्पिक स्थायी व्यवस्था निर्माण होने तक वर्तमान डम्पिंग स्थल पर कतिपय सुरक्षात्मक उपाय किये जा रहे हैं। वर्तमान डम्पिंग स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-119 पर सीधी ढलान पर बनाया गया है, जिसके निचले भाग पर जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, परन्तु नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा निचले भाग तक जाने के लिये एक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण करने हेतु निविदा आमन्त्रित कर कार्यदेश संख्या:-557/न०पा०प०-07/2024-25 पौड़ी दिनांक 06.09.2024 को प्रेषित किया गया है। उपरोक्त मार्ग के बनने के उपरान्त नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत जनित सम्पूर्ण कूड़े को राष्ट्रीय राजमार्ग से 80 मीटर एवं निकटतम आवास से 140 मी० की अधिक दूरी पर ले जाया जा सकेगा तथा वर्णित स्थल पर एक अस्थायी एम०आर०एफ० केन्द्र का निर्माण किया जायेगा, जिससे सूखे कूड़े एवं आर०डी०एफ० को पृथक् कर विक्रय किया जा सकेगा।

7- प्रश्नगत डम्पिंग साइट के निचले भाग पर एक बरसाती नाला/गधेरा है। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि बरसाती नाले में कूड़ा जाने से रोकने हेतु आर०सी०सी० बाउन्ड्री वॉल का निर्माण किये जाने हेतु निविदा दिनांक 20.09.2024 को आमन्त्रित कर दी गयी है तथा बाउन्ड्री वॉल निर्माण के उपरान्त वर्णित स्थल पर एक अस्थायी एम०आर०एफ० केन्द्र का निर्माण किया जायेगा। जिससे सूखा कूड़ा एवं आर०डी०एफ० पृथक् कर विक्रय करने की कार्यवाही की जायेगी।

8- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि अस्थायी डम्पिंग स्थल में पशुओं की आवाजाही रोकने हेतु आर०सी०सी० बाउन्ड्री वॉल का निर्माण किये जाने हेतु निविदा दिनांक 20.09.2024 को आमन्त्रित कर दी गयी है, जिसके उपरान्त डम्पिंग साइट पर किसी भी जानवर को जाने से रोका जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

इस प्रकार नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा वर्तमान में संचालित डम्पिंग साइट में अवस्थित लीगेसी वेस्ट का निस्तारण करने, वर्तमान डम्पिंग साइट में सुरक्षात्मक उपाय करने एवं उल्ली बीट माण्डाखाल पर प्रस्तावित वैकल्पिक नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लान्ट के निर्माण हेतु त्वरित कार्यवाही करते हुए प्राथमिकता के आधार पर समस्त कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित करना उचित होगा।

आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

(अशोक भसीन)
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद पौड़ी।

(डॉ० राजकुमार चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

(दीपक रामचन्द्र शेट)
संयुक्त मजिस्ट्रेट
(बी०) पौड़ी।

(स्वामिनल अनिरुद्ध)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

Annexure 1/vij
कार्यालय-नगर पालिका परिषद पौड़ी

Email-nagarपालिकापौरी@gmail.com

ख्या 994 / NGT- SWM /2024-25 /

दिनांक दिसम्बर, 13 2024

सेवा में,

जिलाधिकारी
पौड़ी

विषय- मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या-281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 के अनुपालन के तथा दिनांक 05/12/2024 पर पुनः आख्या दिये जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या 17202/21 प्रशा0अधि0/ स्था0नि0/2024 दिनांक 11/12/2024 के साथ मा0 एन0जी0टी0 में योजित वाद स0 281/2024 में दिनांक 05/12/2024 के आदेशों के क्रम में निवेदन पूर्वक अवगत कराना है कि उक्त वाद में आदेश दिनांक 29.05.2024 के पारित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी पौड़ी के आदेश संख्या 72 दिनांक 31 अगस्त 2024 के द्वारा चार सदस्य समिति का गठन किया गया था। गठित समिति द्वारा दिनांक 20.09.2024 को गारबेज डम्पिंग स्थल का निरीक्षण किया गया था। पालिका के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या:-503/न0पा0प0/2024-25/पौड़ी दिनांक 24 अगस्त 2024 एवं पत्र संख्या:-620/न0पा0प0/2024-25/पौड़ी दिनांक 21 सितम्बर 2024 के द्वारा जिला कार्यालय पौड़ी को प्रेषित की जा चुकी है। उक्त जांच रिपोर्ट को जिलाधिकारी महोदय गढ़वाल के कार्यालय पत्र संख्या 402 /21-प्रशा0अधि0(स्था0नि0)/2024 पौड़ी दिनांक 23 सितम्बर 2024 के द्वारा उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है। उक्त जांच रिपोर्ट के पश्चात भी पालिका स्तर से वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउंड में निम्न कार्यवाही की गयी है।

- वर्तमान गारबेज डम्पिंग स्थल पर सीधा ढलान होने के कारण उसका निचला भाग होने के कारण गारबेज को नीचे न जाये पालिका द्वारा आर0सी0सी0 सुरक्षा दीवार का कार्य करवाये जाने हेतु निविदा आमन्त्रित की गयी है। सुरक्षा दीवार आदि बनाये जाने के उपरान्त उक्त स्थल पर चौड़ाई बढ़ जाने पर 01 MRF Centre भी बनाया जा सकेगा।
- नगर में ड्राई एवं गीला कूड़ा के एकत्रिकरण के लिये एक प्राईवेट एजेन्सी को कार्य पर लगाया गया है। पालिका के सभी 11 वार्ड में वाहनों के माध्यम से एवं पगडंडियों मार्ग से एजेन्सी के कार्मिकों के माध्यम से बैग आदि में ड्राई गारबेज एकत्रिकरण कराया जा रहा है।
- ड्राई गारबेज से सिल्लियां बनाकर शहर से बाहर विक्रय के लिये भेजे जाने हेतु कैम्पेक्टर मशीन की व्यवस्था करते हुये 10 महीने के लिये एजेन्सी को हायर किया गया है। उनके द्वारा ड्राई गारबेज से सिल्लियां बनाना आरम्भ कर दिया गया है।
- उपरोक्त वर्णित स्थल पर 7,636 मी0 टन लीगेसी वेस्ट की जो डी0पी0आर0 शहरी विकास निदेशालय को भेजी गयी थी, उसमें निदेशालय द्वारा परीक्षण करते हुये अपने पत्र संख्या 3898/886/ SBM/SWM/ली0वे0/2022-23 दिनांक 04 नवम्बर 2024 के द्वारा शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन को अग्रततर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।
- पौड़ी नगर के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के निस्तारण हेतु माण्डाखाल से आगे खिसू रोड़ पर दाहिनी ओर उल्ली बीट न0-32 में 1.007हे0 भूमि हेतु नगर पालिका परिषद पौड़ी को लीज पर देना स्वीकृत हुई है। इस आवंटित भूमि पर पालिका द्वारा सिविल कार्य करवाये जाने की कार्यवाही आरम्भ करने पर वहां पर स्थानीय जनता का घोर विरोध हो रहा है। इसलिये अन्य स्थान पर भूमि का चिन्हिकरण कार्य करवाया जा रहा है।
- वर्तमान गारबेज निस्तारण स्थल पर ट्रेचिंग ग्राउंड तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य के लिये भी निविदायें आमन्त्रित की गयी है, ताकि गारबेज को उपर से न डाल कर प्रस्तावित होने वाली सड़क से ही छँटाई के लिये ले जाया जाये। वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउंड में सी0सी0 टी0वी0 कैमरे भी लगा दिये गये हैं जिससे वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउंड की मॉनिटरिंग भी की जा रही है।

इस प्रकार नगर पालिका पौड़ी द्वारा वर्तमान गारबेज ट्रेचिंग ग्राउंड में उपरोक्त व्यवस्थायें की जा रही हैं, लीगेसी वेस्ट की डी0पी0आर0 अन्तिम परीक्षण तथा धनावंटन के लिये शहरी विकास निदेशालय देहरादून द्वारा शासन को 04 नवम्बर 2024 को स्वीकृति/धनावंटन हेतु भेजी गयी है। SWM के क्रियाकलापों हेतु वन विभाग की आवंटित भूमि पर विवाद की स्थिति होने के कारण नयी भूमि के चयन का प्रयास किया जा रहा है। तब तक वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउंड में ही उपरोक्तानुसार गारबेज का निस्तारण किया जा रहा है।

अतः पारित आदेशों के क्रम में पालिका के द्वारा की गयी कृत कार्यवाही की आख्या मय दस्तावेजों के साथ प्रेषित की जा रही है।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय


अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद पौड़ी
पौड़ी-गढ़वाल

कार्यालय-नगर पालिका परिषद पौड़ी

Email-nagarpalikapauri@gmail.com

संख्या:-1078 / न0पा0पा0 / पौड़ी

दिनांक 03 जनवरी 2025



सेवा में,

जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

विषय:- विधिक आवेदन सं0-123/2024 में मूल आवेदन सं0-281/2024 किशोर बहुगुणा वनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- पत्र संख्या E-17202/21 -प्रशा0अधि0 (स्था0नि0)/2024 पौड़ी दिनांक 11 दिसम्बर, 2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या E-17202/21 प्रशा0अधि0 (स्था0नि0)/2024 पौड़ी दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, मुख्य पीठ, नई दिल्ली (NGT) द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.12.2024 का अनुपालन तैयार कर प्रेषित किया जाना है, उक्त प्रश्नगत प्रकरण का अनुपालन संकलित कर मूल में आपके सम्मुख प्रस्तुत है।

अतः महोदय, आख्या आपकी सेवा में प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

देवेंद्र झांगर
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
पौड़ी गढ़वाल।

प्रतिलिपि:- 1. प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संयुक्त मजिस्ट्रेट/प्रशासक महोदय, नगर पालिका परिषद पौड़ी की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

देवेंद्र

देवेंद्र झांगर
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
पौड़ी गढ़वाल।

एन0जी0टी0 में योजित विधिक 180 सं0-123/2024 में मूल आवेदन सं0-281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29-05-2024 के कम में संयुक्त निरीक्षण आख्या।

मा0 एन0जी0टी0 में योजित विधिक आवेदन सं0-123/2024 में मूल आवेदन सं0-281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य पारित आदेश दिनांक 29-05-2024 के कम में गठित समिति द्वारा दिनांक 20-09-2024 को गार्बेज डम्पिंग स्थल का निरीक्षण किया गया था। पूर्व प्रेषित जांच आख्या दिनांक 23-09-2024 के पश्चात भी पालिका स्तर से वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड में निम्न कार्यवाही की गई है:-

1-वर्तमान में गार्बेज डम्पिंग स्थल पर सीधा ढलान होने के कारण उसका निचला भाग होने के कारण गार्बेज को नीचे न जाये, पालिका द्वारा आर0सी0सी0 सुरक्षा दीवार का कार्य करवाये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। सुरक्षा दीवार आदि बनाये जाने के उपरान्त उक्त स्थल पर चौड़ाई बढ़ जाने पर 01 MRF Centre भी बनाया जा सकेगा।

2-नगर में ड्राई एवं गीला कूड़ा के एकत्रिकरण के लिए एक प्राईवेट एजेन्सी को कार्य पर लगाया गया है। पालिका के सभी 11 वार्ड में वाहन के माध्यम से एवं पगडंडियों मार्ग से एजेन्सी के कार्मिकों के माध्यम से बैग आदि में ड्राई गार्बेज एकत्रिकरण कराया जा रहा है।

3-ड्राई गार्बेज से सिल्लियां बनाकर शहर से बाहर विक्रय के लिए भेजे जाने हेतु कॉम्पेक्टर मशीन की व्यवस्था करते हुए 10 महीने के लिए एजेन्सी को हायर किया गया है। उनके द्वारा ड्राई गार्बेज से सिल्लियां बनाना आरम्भ कर दिया गया है।

4-उपरोक्त वर्णित स्थल पर 7636 मी0 टन लीगेसी वेस्ट की जो डी0पी0आर0 शहरी विकास निदेशालय को भेजी गई थी, उसमें निदेशालय द्वारा परीक्षण करते हुए अपने पत्र सं0-3898/886/SBM/SWM/ली0वे0/2022-23 दिनांक 04 नवम्बर 2024 के द्वारा शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

5-पौड़ी में टोस अपशिष्ट प्रबन्धन के निस्तारण हेतु माण्डाखाल से आगे खिर्सू रोड पर दाहिनी ओर उल्ली बीट नं0-32 में 1.007 हे0 भूमि नगर पालिका परिषद पौड़ी को लीज पर देना स्वीकृत हुई है। इस आवंटित भूमि पर पालिका द्वारा सिविल कार्य करवाये जाने की कार्यवाही आरम्भ करने पर वहां पर स्थानीय जनता का घोर विरोध हो रहा है। इसलिए अन्य स्थान पर भूमि का चिन्हिकरण कार्य करवाया जा रहा है।

6-वर्तमान गार्बेज निस्तारण स्थल पर ट्रेचिंग ग्राउण्ड तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य के लिए भी निविदायें आमंत्रित की गई है, ताकि गार्बेज को उपर से न डाल कर प्रस्तावित होने वाली सड़क से ही छंटाई के लिए ले जाया जाये। वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड में सी0सी0 टी0वी0 कैमरे भी लगा दिये गये हैं, जिसमें वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड की मॉनिटरिंग भी की जा रही है।

इस प्रकार नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा वर्तमान गार्बेज ट्रेचिंग ग्राउण्ड में उपरोक्त व्यवस्थायें की जा रही है, लीगेसी वेस्ट की डी0पी0आर0 अन्तिम परीक्षण तथा धनांवटन के लिए शहरी विकास निदेशालय देहरादून द्वारा शासन को 04 नवम्बर 2024 को स्वीकृति/धनांवटन हेतु भेजी गई है। SWM के क्रियाकलापों हेतु वन विभाग की आवंटित भूमि पर विवाद की स्थिति होने के कारण नयी भूमि के चयन का प्रयास किया जा रहा है। तब तक वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड में ही उपरोक्तानुसार गार्बेज का निस्तारण किया जा रहा है।

अतः आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

(एस0पी0 जोशी)
अधिशायी अधिकारी
न0पा0परि0पौड़ी।

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
देहरादून।

(दीपक रामचन्द्र शेट)
संयुक्त मजिस्ट्रेट
(वा0) पौड़ी।

(स्वप्निल अनिरुद्ध)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी।

॥ कार्यालय-नगर पालिका परिषद पौड़ी ॥

Email-nagarpalikapauri@gmail.com

संख्या 123 / NGT 281 2024/2025-26

दिनांक अप्रैल, 19, 2025



सेवा में,

जिलाधिकारी,
गढ़वाल

Annexure 1/viii

विषय-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित वाद सं 281/2024 में पारित अन्तरित आदेश दिनांक 25.03.2025 के बिन्दु सं0 03 पर स्पष्टीकरण विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या 218/21-प्रशा0अधि0(स्था0नि0)/2024 दिनांक 19 अप्रैल 2025 के सन्दर्भ में स्पष्ट करना है कि मा0 एन0जी0टी0 में योजित विधिक आवेदन सं0 123/2024 में मूल आवेदन सं0 281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 25.03.2025 के बिन्दु सं0 02 एवम 03 के सम्बन्ध में कहना है कि:-

1. यह कि उपरोक्त वाद में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 25.03.2025 के बिन्दु सं0 02 के सम्बन्ध में कहना है कि पौड़ी शहर एक नगर पालिका परिषद है, और यहां पर नगर निगम नहीं है। यहां के प्रशासनिक अधिकारी का पदनाम अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पौड़ी है। इस वाद में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा ही अनुपालन आख्या संयुक्त समिति के साथ जिलाधिकारी पौड़ी के माध्यम से मा0 अधिकरण में दाखिल की गयी है। जिसकी पुष्टि उपरोक्त आदेश के बिन्दु न0 01 में मा0 अधिकरण द्वारा की गयी है। (साक्ष्य संलग्न)
2. यह कि पुनः अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0 में योजित विधिक आवेदन सं0-123/2024 में मूल आवेदन सं0-281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29-05-2024 के क्रम में जिलाधिकारी पौड़ी के द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक 20-09-2024 को गार्बेज डम्पिंग स्थल का निरीक्षण किया गया था। पूर्व प्रेषित जांच आख्या दिनांक 23-09-2024 के पश्चात भी पालिका स्तर से वर्तमान ट्रेडिंग ग्राउण्ड में निम्न कार्यवाही की गई है।
 - वर्तमान में गार्बेज डम्पिंग स्थल पर सीधा ढलान होने के कारण उसका निचला भाग होने के कारण गार्बेज को नीचे न जाये, पालिका द्वारा आर0सी0सी0 सुरक्षा दीवार का कार्य करवाये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी। अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा सुरक्षा दीवार आदि बनाये जाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। जिसका 10 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है। इस सुरक्षा दीवार के बनने से उक्त स्थल पर चौड़ाई बढ़ जाने पर 01 MRF Centre भी बनाया जा सकेगा। (निर्माणाधीन कार्य के फोटोग्राफ)
 - नगर में ड्राई एवं गीला कूड़ा के एकत्रिकरण के लिए एक प्राईवेट एजेन्सी को कार्य पर लगाया गया है। पालिका के सभी 11 वार्डों में वाहन के माध्यम से एवं पगडंडियों मार्ग से अनुबन्धित एजेन्सी के महिला कर्मिकों के माध्यम से बैग आदि में ड्राई गार्बेज एकत्रिकरण कराया जा रहा है। (फोटोग्राफ संलग्न) ड्राई गार्बेज से सिल्लियां बनाकर शहर से बाहर विक्रय के लिए भेजे जाने हेतु कॉम्पेक्टर मशीन की व्यवस्था करते हुए मैसर्स भगवती फील्ड प्राईवेट लिमिटेड ज्वालापुर हरिद्वार एजेन्सी को हायर किया गया है। उनके द्वारा ड्राई गार्बेज से सिल्लियां बनाकर विक्रय किया जा रहा है। जिससे वर्तमान तक रू0 1,30,440/- का ड्राई गार्बेज एजेन्सी के माध्यम से विक्रय किया गया है। (विक्रय फोटोग्राफ संलग्न)
 - उपरोक्त वर्णित स्थल पर 7636 मी0 टन लीगेसी-वेस्ट की, जो डी0पी0आर0 शहरी विकास निदेशालय को भेजी गई थी, उसमें निदेशालय द्वारा परीक्षण करते हुए अपने पत्र सं0-3898/886/SBM/SWM/ली0वे0/2022-23 दिनांक 04 नवम्बर 2024 के द्वारा शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन को अग्रतार कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।
 - पौड़ी में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के निरतारण हेतु माण्डाखाल से आगे खिसू रोड पर दाहिनी ओर उल्ली वीट न0-32 में 1007 हे0 भूमि नगर पालिका परिषद पौड़ी को लीज पर देना स्वीकृत हुई है। इस आवंटित भूमि पर पालिका द्वारा सिविल कार्य करवाये जाने की कार्यवाही आरम्भ करने पर वहां पर स्थानीय जनता का घोर विरोध हो रहा है। इसलिए अन्य स्थान पर भूमि का विन्धिकरण कार्य करवाया जा रहा है।

वर्तमान गार्बेज निस्तारण स्थल पर ट्रेचिंग ग्राउण्ड तक कच्चा मार्ग तैयार कर दिया गया है। अब उसी कच्चे मार्ग से गार्बेज के पृथकीकरण के पश्चात् कूड़े को ले जाया जा रहा है। इसके आलावा स्थल पर सी0सी0टी0 कैमरे भी लगाये गये हैं। ट्रेचिंग ग्राउण्ड में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन एजेन्सी को हमेशा सुव्यवस्था तथा समय-समय पर ब्लीचिंग आदि छिडकने के निर्देश दिये गये हैं।


- मा0 अधिकरण के दिनांक 29.05.2024 को पारित आदेश के क्रम में पालिका द्वारा किये गये कार्यों की पुष्टि हेतु सदस्य सचिव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड देहरादून के पत्र संख्या यू0के0 पीसी0बी0/एचओ0/सा0-183-788/2024/1328 दिनांक 11.12.2024 के द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नेहरू कॉलोनी देहरादून को किये गये कार्यों का सत्यापन करने के निर्देश दिये गये थे। दिनांक 17.12.2024 को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की टीम द्वारा सत्यापन निरीक्षण किया गया, जिसमें उनके द्वारा निरीक्षण आख्या में पालिका के द्वारा किये गये कार्यों की पुष्टि आख्या दी गयी है। (निरीक्षण रिपोर्ट साक्ष्य संलग्न)
- मा0 अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 25.03.2025 के बिन्दु सं0 02 में उल्लेख किया गया है कि आयुक्त नगर निगम पौड़ी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पौड़ी एक नगर पालिका परिषद है। जनपद पौड़ी के अन्तर्गत केवल श्रीनगर/कोटद्वार नगर निगम हैं। दिनांक 08.01.2025 की संयुक्त जांच आख्या अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पौड़ी के माध्यम से ही प्रेषित की गयी है, जिसे जिलाधिकारी पौड़ी द्वारा अपने पत्र संख्या 321/21-प्रशा0अधि0 (स्था0नि0)/2024-25 दिनांक 08 जनवरी 2025 के द्वारा साक्ष्य सहित भेजा गया है। (प्रतियां संलग्न हैं)

इस प्रकार नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा वर्तमान गार्बेज ट्रेचिंग ग्राउण्ड में उपरोक्त व्यवस्थायें की जा रही हैं। और इसकी अनुपालन आख्या पालिका के अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, पौड़ी के संयुक्त मजिस्ट्रेट तथा गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी के प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा दिनांक 29.05.2024 को मौका स्थल पर संयुक्त निरीक्षण उपरान्त तैयार की गयी थी, जिसे जिलाधिकारी पौड़ी के पत्र संख्या 321/21-प्रशा0अधि0 (स्था0नि0)/2024-25 दिनांक 08 जनवरी 2025 के द्वारा अन्य साक्ष्यों सहित प्रेषित की गयी है। जिसकी पुष्टि मा0 अधिकरण के पारित आदेश दिनांक 25.03.2025 के बिन्दु सं0 01 पर भी की गयी है।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में उपरोक्त तथ्यों को भेजे जाने हेतु आख्या प्रेषित है।

संलग्नक:- यथोक्त

भवदीय


(एस0पी0 जोशी)

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद पौड़ी
पौड़ी-गढ़वाल

प्रेषक,

183

जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

सेवा में,

परामर्शदाता(न्यायिक),
राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली।

संख्या: 32 / 21-प्रशा0अधि0(स्था0नि0) / 2024-25 दिनांक पौड़ी जनवरी 08, 2025

विषय:- विधिक आवेदन सं0- 123/2024 में मूल आवेदन सं0- 281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, मुख्य पीठ, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05-12-2024 को पारित आदेश जिसके द्वारा विधिक आवेदन सं0- 123/2024 में मूल आवेदन सं0- 281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 29-05-2024 के अनुसार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने के आदेश पारित किये गये थे।

2- इस सम्बन्ध अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित विधिक आवेदन सं0-123/2024 में मूल आवेदन सं0-281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य पारित आदेश दिनांक 29-05-2024 के क्रम में गठित समिति द्वारा दिनांक 20-09-2024 को गार्बेज डम्पिंग स्थल का निरीक्षण किया गया था। पूर्व प्रेषित जांच आख्या दिनांक 23-09-2024 के पश्चात भी पालिका स्तर से वर्तमान ट्रेडिंग ग्राउण्ड में निम्न कार्यवाही की गई है:-

1-वर्तमान में गार्बेज डम्पिंग स्थल पर सीधा ढलान होने के कारण उसका निचला भाग होने के कारण गार्बेज को नीचे न जाये, पालिका द्वारा आर0सी0सी0 सुरक्षा दीवार का कार्य करवाये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। सुरक्षा दीवार आदि बनाये जाने के उपरान्त उक्त स्थल पर चौड़ाई बढ़ जाने पर 01 MRF Centre भी बनाया जा सकेगा।

2-नगर में ड्राई एवं गीला कूड़ा के एकत्रिकरण के लिए एक प्राईवेट एजेन्सी को कार्य पर लगाया गया है। पालिका के सभी 11 वार्डों में वाहन के माध्यम से एवं पगडडियों मार्ग से एजेन्सी के कार्मिकों के माध्यम से बैग आदि में ड्राई गार्बेज एकत्रिकरण कराया जा रहा है।

3-ड्राई गार्बेज से सिल्लियां बनाकर शहर से बाहर विक्रय के लिए भेजे जाने हेतु कॉम्पेक्टर मशीन की व्यवस्था करते हुए 10 महीने के लिए एजेन्सी को अधिग्रहित किया गया है, उनके द्वारा ड्राई गार्बेज से सिल्लियां बनाना आरम्भ कर दिया गया है।

4-उपरोक्त वर्णित स्थल पर 7636 मी0 टन लीगेसी वेस्ट की जो डी0पी0आर0 शहरी विकास निदेशालय को भेजी गई थी, उसमें निदेशालय द्वारा परीक्षण करते हुए अपने पत्र सं0- 3898/886 /SBM/SWM/ली0वे0/2022-23 दिनांक 04 नवम्बर 2024 के द्वारा शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन को अग्रत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

5-पौड़ी में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के निस्तारण हेतु माण्डाखाल से आगे खिसू रोड पर दाहिनी ओर उल्ली बीट नं0-32 में 1.007 हे0 भूमि नगर पालिका परिषद पौड़ी को लीज पर देना स्वीकृत हुई है। इस आवंटित भूमि पर पालिका द्वारा सिविल कार्य करवाये जाने की कार्यवाही आरम्भ करने पर वहां पर स्थानीय जनता का घोर विरोध हो रहा है, इसलिए अन्य स्थान पर भूमि का चिन्हिकरण कार्य करवाया जा रहा है।

6-वर्तमान गार्बेज निस्तारण स्थल पर ट्रेडिंग ग्राउण्ड तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य के लिए भी निविदायें आमंत्रित की गई है, ताकि गार्बेज को ऊपर से न डाल कर प्रस्तावित होने वाली सड़क से ही छंटाई के लिए ले जाया जाये। वर्तमान ट्रेडिंग ग्राउण्ड में सी0सी0 टी0वी0 कैमरे भी लगा दिये गये हैं, जिसमें वर्तमान ट्रेडिंग ग्राउण्ड की मॉनिटरिंग भी की जा रही है।

184
इस प्रकार नगर परिषद गौडी द्वारा वर्तमान गार्बेज ट्रेचिंग ग्राउण्ड में उपरोक्त व्यवस्थायें की जा रही हैं, लीगेंसी वेस्ट की डीपीओ-आरओ अन्तिम परीक्षण तथा घनावटन के लिए शहरी विकास निदेशालय देहरादून द्वारा शासन को 04 नवम्बर 2024 को स्वीकृति / घनावटन हेतु भेजी गई है। SWM के क्रियाकलापों हेतु वन विभाग की आवंटित भूमि पर विवाद की स्थिति होने के कारण नयी भूमि के चयन का प्रयास किया जा रहा है, तब तक वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड में ही उपरोक्तानुसार गार्बेज का निस्तारण किया जा रहा है।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में याजित विधिक आवेदन सं0-123/2024 में मूल आवेदन सं0- 281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29-05-2024 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत संयुक्त अनुपालन आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय


(डॉ० आशीष चौहान)
जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-रजिस्ट्रार जनरल, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली।
- 2-सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखण्ड, देहरादून।


जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

प्रश्नक,

जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

185

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गौरा देवी पर्यावरण भवन
46 बी.आई.टी.पार्क, सहस्त्रधारा रोड,
देहरादून।

Uttarakhand Pollution Control Board
Diary No. 5771
Date 24/9/24

संख्या- 402/21-प्रशा0अधि0(स्था0नि0)/2024 पौड़ी दिनांक सितम्बर 23, 2024.

विषय:- मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या-281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक-यूकेपीसीबी/एच.ओ/सा0-183-188 /2024/568 दिनांक 15.07.2024 संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा0एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या-281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 में ग्राम तिमली/पौड़ी, न्यू विकास कॉलोनी, जिला पौड़ी गढ़वाल अवस्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 में नगर पालिका पौड़ी द्वारा कचरा डम्पिंग के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से अवगत कराने एवं 02 माह अन्दर संयुक्त टीम का गठन करते हुए नियमानुसार आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है।

उक्त सम्बन्ध में गठित संयुक्त निरीक्षण टीम द्वारा दिनांक 20-09-2024 को स्थलीय निरीक्षण करते हुए आख्या निम्नानुसार प्रेषित की है:-

1. निरीक्षण के दौरान अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में पौड़ी नगर पालिका परिषद के अन्तर्गत 11 वार्ड अन्तर्गत कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 25440 है।
2. डम्पिंग साईट पर वर्तमान में नगर पालिका परिषद द्वारा सफाई कर्मचारियों के माध्यम से एकत्रित कूड़े को अस्थायी तौर पर डाला जा रहा है। वर्तमान में नगर पालिका परिषद पौड़ी क्षेत्रान्तर्गत डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्रिकरण का कार्य नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा निविदा द्वारा चयनित एक निजी संस्था द्वारा किया जा रहा है एवं उक्त निजी संस्था द्वारा अपने कर्मचारियों के माध्यम से सूखे कूड़े(प्लास्टिक, कागज, गत्ते आदि) को पृथक कर कॉम्पेक्टर के माध्यम से कम्प्रेस कर विक्रय किया जाता है।
3. बिन्दु सं0-2 में उल्लिखित कूड़े के अतिरिक्त अवशेष कूड़े को वर्तमान में कोई वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण डम्पिंग साईट पर ही डाला जा रहा है, जिस कारण उक्त डम्पिंग साईट विगत वर्षों का लीगेसी वेस्ट(Legacy Waste) अवस्थित है। नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया है कि उक्त Legacy Waste के नियमानुसार निस्तारण के सम्बन्ध में तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(DPR) तथा प्रस्ताव हेतु अनुरोध(REP) की स्वीकृति धनावंटन हेतु दिनांक 10-09-2024 को शहरी विकास निदेशालय को प्रेषित कर दी गई है। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि शासन से उपरोक्त डी0पी0आर0 अनुमोदित होने के उपरान्त तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रश्नगत स्थल पर स्थित Legacy Waste का नियमानुसार निस्तारण करा दिया जायेगा।
4. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 की अनुसूची-1(क 7) में दिये गये मानदण्डों के अनुसार प्रश्नगत डम्पिंग साईट की स्थिति निम्नानुसार है:-

स्थिति	निर्धारित मानक	प्रश्नगत स्थल की दूरी	टिप्पणी
--------	----------------	-----------------------	---------


Dr. H. S. Chandra
24/9/24

MM

DEO
21/9/24

नदी से दूरी	100 मी0	186 डम्पिंग साईट के निकट कोई नदी स्थित नहीं है।	डम्पिंग स्थल के अन्तिम कोने के 50 मी0 की दूरी पर एक बरसाती गधेरा स्थित है।
तालाब से दूरी	200 मी0	डम्पिंग साईट के निकट कोई तालाब स्थित नहीं है।	-
राज्य मार्गों से दूरी	200 मी0	राजमार्गों से दूरी शून्य मी0	-
आवास स्थलों की दूरी	200 मी0	आवासों से दूरी 60 मी0	-
सार्वजनिक उद्यानों से दूरी	200 मी0	सार्वजनिक उद्यानों से दूरी 03 किमी0	-
जलापूर्ति कुंओं से दूरी	200 मी0	डम्पिंग साईट के निकट कोई जलापूर्ति कुंआ स्थित नहीं है।	-
हवाई अड्डे से दूरी	20 कि0मी0	87 किमी0	-

5. नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 के मानदण्डों के अनुसार नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत जनित कूड़ों के पृथक्करण/प्रसंस्करण एवं निस्तारण हेतु उल्ली बीट माण्डाखाल में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लांट के निर्माण हेतु वैकल्पिक भूमि आवद्ध की गई है, जिसकी पर्यावरणीय (पत्र सं0- 29-07(19)2021 दिनांक 09 मार्च 2023) एवं वन भूमि हस्तान्तरण स्वीकृति (पत्र सं0- 08बी/यू0सी0पी0/09/2012/2016/एफ0सी0/2627 दिनांक 19 फरवरी 2020) प्राप्त हो चुकी है। वर्णित स्थल पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लांट(Solid waste Management plant) लगाये जाने हेतु तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(DPR) तथा प्रस्ताव हेतु अनुरोध(REP)(कुल लागत 9.74 करोड़) नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा शहरी विकास निदेशालय के माध्यम से शासन को पत्र सं0-95 /न0पा0प0-05/2024-25 दिनांक 15 मई 2024 प्रेषित की गई है। प्रश्नगत वैकल्पिक भूमि पर अवस्थित वृक्षों के पातन की अनुज्ञा वन विभाग को प्रेषित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त उक्त प्लांट की स्थापना से पूर्व उत्तराखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to Establish प्राप्त किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। अधिशासी अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि जैसे ही उपरोक्त समस्त स्वीकृतियां प्राप्त होती है, प्लांट के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा एवं उसे क्रियान्वित कर दिया जायेगा।
6. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पौड़ी द्वारा यह भी अवगत कराया है कि विन्दु सं0-5 में उल्लिखित वैकल्पिक स्थायी व्यवस्था निर्माण होने तक वर्तमान डम्पिंग स्थल पर कतिपय सुरक्षात्मक उपाय किये जा रहे हैं। वर्तमान में डम्पिंग स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-119 पर सीधी ढलान पर बनाया गया है, जिसके निचले भाग पर जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं है, परन्तु नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा निचले भाग तक जाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण करने हेतु निविदा आमंत्रित कर कार्यादेश दिनांक 06-09-2024 को प्रेषित किया गया है। उपरोक्त मार्ग के बनने के उपरान्त नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत जनित सम्पूर्ण कूड़े को राष्ट्रीय राजमार्ग से 80 मी0 एक निकटतम आवास से 140 मी0 की अधिक दूरी पर ले जाया जा सकेगा तथा वर्णित स्थल पर एक अस्थायी एम0आर0एफ0 केन्द्र का निर्माण किया जायेगा, जिससे सूखे कूड़े एवं आर0डी0एफ0 को पृथक् कर विक्रय किया जा सकेगा।
7. प्रश्नगत डम्पिंग साईट के निचले भाग पर एक बरसाती नाला/गधेरा है। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया कि बरसाती नाले में कूड़ा जाने से रोकने हेतु आर0सी0सी0 बाउण्ड्री वॉल का निर्माण किये जाने हेतु निविदा दिनांक 20-09-2024 को आमंत्रित कर दी गई है तथा बाउण्ड्री वॉल निर्माण के उपरान्त वर्णित सील पर एक अस्थाई




एम0आर0एफ0 केन्द्र का निर्माण किया जाएगा, जिससे सूखा एवं आर0डी0एफ0 पृथक कर विक्रय की कार्यवाही की जायेगी।

अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि अस्थायी डम्पिंग स्थल में पशुओं की आवाजाही रोकने हेतु आर0सी0सी0 बाउण्ड्री वॉल का निर्माण किये जाने हेतु निविदा दिनांक 20-09-2024 को आमंत्रित कर दी गई है, जिसके उपरान्त डम्पिंग साईट पर किसी भी जानवर को जाने से रोका जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

इस प्रकार नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा वर्तमान में संचालित डम्पिंग साईट में अवस्थित Legacy Waste का निस्तारण करने, वर्तमान डम्पिंग साईट में सुरक्षात्मक उपाय करने एवं उल्ली बीट माण्डाखाल पर प्रस्तावित वैकल्पिक नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लांट के निर्माण हेतु त्वरित कार्यवाही करते हुए प्राथमिकता के आधार पर समस्त कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जाना उचित होगा।

अतः उक्तानुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
भवदीय,

संलग्न:-यथोपरि।



(डॉ० आशीष चौहान)
जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

23/9/24

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।

31/62, राजपुर रोड, देहरादून-248001

Email id -sbmurbaninfo@gmail.com, sbmurbanuk@gmail.com



सेवा में,

अपर सचिव,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

विषय-
महोदय,

नगर पालिका परिषद पौड़ी की लीगेसी वेस्ट की डी०पी०आर० के सम्बन्ध में।

कृपया, उपर्युक्त विषयक नगर पालिका परिषद पौड़ी के पत्र सं०-360/लीगेसी वेस्ट/2025-26 दिनांक-13.05.24 (संलग्नक-1) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से निकाय क्षेत्रांतर्गत लीगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु रु० 67.38 लाख की डी०पी०आर० का जिला स्तरीय तकनीकी समिति से परीक्षणोपरांत स्वीकृति हेतु निदेशालय को प्रेषित की गयी है।

2. उपरोक्त के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या-1/42554/2025 दिनांक-17.06.2025 (संलग्नक-2) द्वारा निकाय से डिस्पोजल साईट/स्थल तथा प्रसंस्करण उत्पन्न आर०डी०एफ०/रिसाईक्लेबल व अन्य अवयवों के निस्तारण हेतु स्थान/स्थल के संबंध में सुस्पष्ट आख्या चाही गई, जिसके क्रम में निकाय के पत्र संख्या-727/लीगेसी वेस्ट/2025-26 दिनांक-03.07.2025 (संलग्नक-3) द्वारा अवगत कराया गया कि 7636 MT Legacy Waste के निस्तारण हेतु प्रसंस्करण के पश्चात उत्पन्न आर०डी०एफ०/रिसाईक्लेबल पार्ट का निस्तारण मै० भगवती फील्ड सर्विसेज प्रा०लि० के हरिद्वार प्लान्ट पर किये जाने की सहमति ली गयी है व अन्य अवयवों जैसे Inert Garbage को भरण वाले स्थानों अथवा डम्पिंग साईट पर ही भरण के रूप में निस्तारित किया जायेगा।

3. उक्त के क्रम में निदेशालय का अभिमत है कि डी०पी०आर० में नगर पालिका परिषद पौड़ी के लीगेसी वेस्ट कुल मात्रा 7636 मीट्रिक टन के निस्तारण की कुल लागत रु० 67.38 लाख के सापेक्ष एस०बी०एम० 2.0 के अन्तर्गत अनुमन्य प्रति मीट्रिक टन रु० 550.00 की दर से रु० 41.99 लाख को स्वच्छ भारत मिशन 2.0 से तथा अवशेष रु० 25.38 लाख को पालिका मद/रिंग फेंसड एकाउण्ट मद से स्वीकृति प्रदान किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

अतः नगर पालिका परिषद पौड़ी के लीगेसी वेस्ट निस्तारण की डी०पी०आर०/प्रस्ताव शासन की सेवा में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

Digitally signed by
LALIT NARAYAN MISHRA
Date: 15-07-2025
19:19:56

(डॉ० ललित नारायण मिश्र)
अपर निदेशक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी।

(डॉ० ललित नारायण मिश्र)
अपर निदेशक।

कार्यालय-नगर पालिका परिषद पौड़ी

Email-nagarpalikapauri@gmail.com

संख्या:- 727/ Legacy Waste / 2025- 26

दिनांक जुलाई 3, 2025

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
देहरादून।

विषय:- नगर पालिका परिषद पौड़ी की लीगेसी वेस्ट की डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि इस निकाय का 7636 MT Legacy Waste माण्डाखाल स्थित ट्रेचिंग ग्राउण्ड में पड़ा है। इस सम्बन्ध में निदेशालय के पत्र दिनांक 17.06.2025 के द्वारा निम्न आपत्ति की गयी है।

1. 7636 MT Legacy Waste के डम्प साईट से परिवहन हेतु मशीनरी व मानव संसाधनों का अतिरिक्त व्यय की धनराशि रू0 25.38 लाख पर डिस्पोजल साईट का उल्लेख चाहा गया है। निदेशालय के उपरोक्त आपत्ति/अभिमत पर स्पष्ट करना है कि "पालिका का 7636 MT Legacy Waste के निस्तारण हेतु डी0पी0आर0 माह सितम्बर 2024 को स्वीकृत हेतु भेजी गयी थी, पूर्व में निदेशालय/शासन से प्राप्त आपत्तियों का निराकरण कर जनपदीय समिति से अनुमोदन करा कर संशोधित राशि रू0 67.38 लाख की डी0पी0आर0 अन्तिम रूप से निदेशालय भेजी गयी थी, निदेशालय के आपत्ति/अभिमत पर स्पष्ट करना है कि इस लीगेसी वेस्ट प्रसंस्करण के पश्चात उत्पन्न आर0डी0एफ0/रिसाईक्लेबल पार्ट का निस्तारण मै0 भगवती फील्ड सर्विसेज प्रा0लि0 के हरिद्वार प्लान्ट पर किये जाने की सहमति ली गयी है। अन्य अपवयों जैसे Enard Garbage को भरान वाले स्थानों अथवा डम्पिंग साईट पर ही भरान के रूप में निस्तारित किया जायेगा"

अतः कृपया अन्तिम रूप से संशोधित जनपदीय समिति से अनुमोदित लीगेसी वेस्ट की डी0पी0आर0 स्वीकृत करने का कष्ट करें, ताकि इस गम्भीर/लम्बित प्रकरण का समय से निस्तारण हो सकें।

संलग्नक-प्लान्ट निदेशक का सहमति पत्र।

भवदीय

26/7/25
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद पौड़ी
पौड़ी गढवाल

पत्र सं0 व दिनांक -तदेव-

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ प्रेषित।

- 1:- अपर जिलाधिकारी पौड़ी गढवाल
- 2:- अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद पौड़ी
- 3:- सफाई निरीक्षक, नगर पालिका परिषद पौड़ी।

अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद पौड़ी
पौड़ी गढवाल

कार्यालय-नगर पालिका परिषद पौड़ी

Email-nagarपालिकापौड़ी@gmail.com

संख्या:- 360 / Legacy Waste / 2025-26 /

दिनांक मई 13, 2025

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
देहरादून।

विषय:- नगर पालिका पौड़ी की Legacy Waste की जनपदीय तकनीकी समिति से अनुमोदित कराकर स्वीकृति हेतु पुनः प्रेषण किया जाने विशयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि पालिका पौड़ी के द्वारा श्रीनगर रोड पर ट्रेचिंग ग्राउंड में आकलित किये गये 7636 MT Legacy Waste के निस्तारण हेतु रू० 95.05 लाख की डी०पी०आर० स्वीकृति हेतु भेजी गयी थी। शहरी विकास निदेशालय के पत्र सं० 050105-SBM. दिनांक 22.02.2025 के क्रम में पालिका द्वारा डी०पी०आर० को जनपदीय तकनीकी समिति से अनुमोदन कराया गया है तकनीकी समिति में उक्त डी०पी०आर० की धनराशि रू० 67.38 लाख संशोधित की गयी है।

जनपदीय तकनीकी समिति पौड़ी के अधीक्षण अभियन्ता, (अध्यक्ष समिति) लोक निर्माण विभाग, पौड़ी के पत्र सं० 1058/233 भवन/12/2025 दिनांक 22/4/2025 के द्वारा Legacy Waste की अनुमोदित डी०पी०आर० की मूल 01 प्रति संलग्न कर स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा रही है।

अतः कृपया पालिका पौड़ी के Legacy Wasteके निस्तारण हेतु उक्त डी०पी०आर० की वित्तीय स्वीकृति करने का कष्ट करे।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय



अधिसूची अधिकारी
नगर पालिका परिषद पौड़ी
पौड़ी गढ़वाल

पत्र सं० व दिनांक --तदैव--
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ प्रेषित।

- 1:- जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल
- 2:- अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद पौड़ी
- 3:- श्री आरिफ, अवर अभियन्ता, को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त डी०पी०आर० तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनि चित करें।

अधिसूची अधिकारी
नगर पालिका परिषद पौड़ी
पौड़ी गढ़वाल



सत्यमेव जयते



IN-UK92527600041459X

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

₹100

e-Stamp

Certificate No.

Certificate Issued Date

Account Reference

Unique Doc. Reference

Purchased by

Description of Document

Property Description

Consideration Price (Rs.)

First Party

Second Party

Stamp Duty Paid By


Stamp Duty Amount(Rs.)

IN-UK92527600041459X
 17-May-2025 04:08 PM
 CSCACC (GV)/ ukcsceg07/ UK-PGKUL0011/ UK-PG
 SUBIN-UKUKCSCEG0792457514114122X
 KISHOR BAHUGUNA
 Article 4 Affidavit
 Not Applicable
 0
 (Zero)
 KISHOR BAHUGUNA
 NGT NEW DELHI
 KISHOR BAHUGUNA
 100
 (One Hundred only)

सत्यमेव जयते



₹100



Please write or type below this line

IN-UK92527600041459X

सेवा में,

मा० एन०जी०टी०
 नई दिल्ली।

महोदय,

आज दिनांक 19.05.2025 को मेरे द्वारा पालिका पौड़ी का श्रीनगर रोड स्थित ट्रेडिंग ग्राउंड का भ्रमण किया गया है। मेरे द्वारा दिनांक 17.09.2023 को यह व्याप्त अव्यवस्थाओं के सम्बन्ध में शिकायत की गयी थी। उस समय श्री गौरव भसीन अधिशासी अधिकारी नगर पालिका पौड़ी में कार्यरत थे। उनके द्वारा व्यवस्थाओं को ठीक कराने का आश्वासन किया गया था। परन्तु कार्यवाही नगण्य थी।

पालिका में नये अधिशासी अधिकारी के आने एवं जिलाधिकारी महोदय पौड़ी की सख्त मॉनिटरिंग के कारण उक्त स्थल पर काफी कार्य हुये है, और परिवर्तन आया है। कूड़ा आना कम हुआ है, कूड़ा मुख्य सडक से न डाल कर पहाड़ काट कर बनायी सडक पर छंटाई की जा रही है। पालिका की अधिकृत कम्पनी द्वारा वहाँ पर जे0सी0बी0 चलाकर नियन्त्रण किया जा रहा है तथा कूड़े की छंटाई भी की जा रही है। कीटनाशक तथा चूने का छिडकाव भी देखा गया है। कूड़ा खाई मे न जाये इसके लिये दीवार का कार्य भी होता हुआ पाया गया है। बाकी गेट, टिन चारदीवारी के लिये भी अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद पौड़ी के द्वारा आश्वासन दिया गया है। इन सभी के लिये मा0 एन0जी0टी0 को बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं।

अतः मेरी शिकायत का उपरोक्त स्थिति तक निस्तारण हो गया है।

सादर प्रेषित

किशोर
(किशोर बहुगुणा)

ग्राम तिमली, पट्टी नान्दलस्यूं
तहसील पौड़ी
जिला पौड़ी गढवाल।

सूचना प्रेषित-

- 1:- जिलाधिकारी महोदय पौड़ी गढवाल।
- 2:- अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पौड़ी।



ATTESTED

Vijay Par Singh Negi
Public Notary
Pauri Garhwal (U.A.)

किशोर
(किशोर बहुगुणा)